झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नागांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रगाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि पिता	पति	(विवाहित
महिला के गामले में) ग्राम/नगर		
, राज्य / संघशासित प्रदेश झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनिय के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये		ति के सदस्य हैं, जो पुसूचित जनजाति तथा ि (अनुसूची—। और ॥)
2. साघारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/ में निवास करता है/करते हैं		
3. यह भी प्रमाणित हि प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 1993 की अनुसूची के स्तंभ—3 में राजभाषा विभाग के संकल्प सं 3482 क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्थ नह	उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रा , दिनांक 10 06 2002 द्वारा य	इ.टी.), दिनांक 08.09. शासनिक सुधार तथा
4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैघ होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए गान्य होगी।		
रथान	पदनाम	के सील सहित

FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/ BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that	Son/ Daughter of
Wife of	(in case of married woman)
of Village/ Town	District/Division*of the
State/Union Territory	elongs to the Caste which
is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies
and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ot	her Backward Classes] Act - 2001 *** and professes
2	er* family ordinarily reside (s) in Village/Town* te/UnionTerritory* of Jharkhand.
3. This is also to certify that he/she does in	not belong to the Persons/Sections (Creamy layer)
mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 360	12/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department
of Personnel and Training, Government of India as adopt	ed by the Department of Personnel, Administrative
Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 da	ted 10,06.2002,
4. This certificate is issued on the basis of determs of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/2:	eclaration made by applicant and his/her parents in 2/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one
year from the date of issue. This certificate will, however,	
being non-creamy layer, for the financial year in which such	
purpose.	
	Signature
	Designation
Place	(with seal of office)
Date	